भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2119

उत्तर देने की तारीख-11/03/2026

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समता नियमों का गैर-अनुपालन

2119 # **श्री रामजी लाल सुमन**:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समता नियमों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों एवं अन्य पदों पर अस्थायी नियुक्तियों में आरक्षण मानदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ऐसे पदों पर स्थायी एवं अस्थायी नियुक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान शिक्षकों एवं गैर शैक्षणिक पदों पर अस्थायी नियुक्तियों में आरक्षण मानदंडों का अनुपालन न होने संबंधी शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान पात्र उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण आरक्षित पदों की एवज में सामान्य श्रेणी से की गई नियुक्तियों के ब्यौरे सहित आस्थगित रखे गए पदों और रिक्त पदों की संख्या कितनी है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख): केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालय**,** संबंधित केंद्रीय/राज्य अधिनियमों के तहत स्थापित सांविधिक स्वायत्त संगठन हैं और इसके तहत बनाए गए अधिनियमों/संविधियों/अध्यादेशों/विनियमों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होते हैं। स्वायत्त संस्थाओं के रूप में**,** संकाय भर्ती संस्थाओं द्वारा स्वयं ही उनके अधिनियमों और विनियमों के अनुसार की जाती है। भर्ती की शक्तियां संबंधित सांविधिक निकायों में निहित होती हैं।

रिक्तियां होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। अगस्त, 2021 में, शिक्षा मंत्रालय के तहत सभी केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (सीएचईआई) से मिशन मोड में अपनी संस्थाओं में बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाने का अनुरोध किया गया है। तदनुसार, मिशन भर्ती के तहत सितंबर, 2022 से दिनांक 24.01.2026 (अर्थात पिछले रोजगार मेले की तारीख) तक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल 8465 संकाय और 4403 गैर-संकाय नियुक्तियां की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भारत सरकार की आरक्षण नीति को सख्ती से लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। यूजीसी आरक्षण मानदंडों को लागू करने के लिए समय-समय पर उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को निर्देश भी जारी करता है।

(ग) और (घ): यूजीसी ने बताया है कि यूजीसी के संज्ञान में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है और नियुक्तियों में पदों का अनारक्षण अनुमत नहीं है।

******